HAMIRPUR POLICE

थाना कुरारा **दिनांक 17.01.2023**

हत्या का खुलासा, हत्या कारित करने वाला अभियुक्त, आलाकत्ल सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 11/01/2023 को थाना कुरारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जल्ला में तीन व्यक्तियों 1) अनिता पत्नी राजू पाल उम्र 28 वर्ष 2) मोहिनी उम्र 6 वर्ष पुत्री राजू पाल 3) रोहिणी उम्र 3 वर्ष पुत्री राजू पाल की घर मे आग लगने से मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध मे मृतका के पति वादी श्री राजूपाल पुत्र बृम्हादीन पाल निवासी ग्राम जल्ला थाना कुरारा जनपद हमीरपुर द्वारा अपने सगे साले रामप्रकाश पुत्र राजाराम निवासी ग्राम भवानीपुर थाना चिल्ला जिला बांदा पर आग लगाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दी गयी थी। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 21/2023 धारा 302/201 भा0द0सं0 मे पंजीकृत कराया गया था।

घटना के खुलासे एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा प्रभारी नि0 कुरारा को निर्देशित किया गया था। जांच के दौरान भी तथ्य प्रकाश मे आया कि घटना वाले दिन भी अभियुक्त गांव में ही था इसके द्वारा ही घर मे बाहर से कुंडी लगाई गई थी।जिसके क्रम मे दिनांक 17.01.2023 को अभियुक्त रामप्रकाश पुत्र राजाराम नि0 ग्राम भवानीपुर थाना चिल्ला जिला बांदा को मुखबिर की सूचना के आधार पर पतारा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया की शराब के लिए पैसे न देने पर मेरे द्वारा अपनी बहन व उसके दोनों बच्चों की (लोढा) पत्थर से हत्या कर दी थी एवं बिजली के हीटर से जला दिया था। इसके उपरांत घर मे आग लगाकर घर के बाहर से दरवाजे पर कुंडी बंद कर भाग गया था। अभियुक्त की निशादेही पर आला कत्ल एक अदद पत्थर का बना बट्टा (लोढा) तथा एक अदद ACE कीपैड मोबाइल बरामद किया गया है। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर रामप्रकाश पुत्र राजाराम निवासी ग्राम भवानीपुर थाना चिल्ला जिला बांदा को जेल भेजा जा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

रामप्रकाश पुत्र राजाराम निवासी ग्राम भवानीपुर थाना चिल्ला जिला बांदा

बरामदगी का विवरण

01 अदद आलाकत्ल पत्थर का बट्टा

01अदद ACE की पैड मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1.SHO श्री पवन कुमार पटेल थाना कुरारा
2.हे0का0 अनरूद्द नारायण थाना कुरारा
3.का0 जितेन्द्र कुमार थाना कुरारा
4.का0 जितेन्द्र राजपूत थाना कुरारा